न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 75/2011

हरप्यारी पत्नी लेखराम जाति जाट निवासी 2 सी.डी.आर. ढाणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज.)

—अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
2. लखवीरसिंह पुत्र जगतारसिंह जाति जटसिख नि. सदासिंहवाला हाल 2 जी. एस.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजवीरसिंह पुत्र जगतारसिंह जाति जटसिख नि. सदासिंहवाला हाल 2 जी. एस.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. प्रसन्नकौर पत्नी निरंजनसिंह जाति जटसिख नि. सदासिंहवाला हाल 2 जी. एस.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. जगतारसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख नि. सदासिंहवाला हाल 2 जी. एस.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. गुरदेवकौर पत्नी जगतारसिंह जाति जटसिख नि. सदासिंहवाला हाल 2 जी. एस.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. विनोदकुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट नि. रतनपुरा हाल 2 जी.एस.एम. . तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
8. पारीदेवी पत्नी नंदराम जाति जाट नि. रतनपुरा हाल 2 जी.एस.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 22.02.2011

उपस्थिति—
श्री सोमप्रकाश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता
श्री अशोक कुमार छाबड़ा, रेस्पों. सं. 2 से 6

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय

दिनांक- 28-6-2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पों. सं. 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश किया। वादी/रेस्पों. सं. 2 ने अपने वाद पत्र में यह अंकित किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से चक 2 जी.एस.एम. के खाता सं. 14 मु.नं. 17, 33, 34, 65, 67, 66, 68 में कुल 23.467 है0. भूमि मय खाला खातेदारी संयुक्त खाता में हिस्सा अनुसार दर्ज है। वादी ने निवेदन किया कि दावा स्वीकार कर दावा की मद संख्या 4 के अनुसार खाता विभाजन किया जावे।

(A) प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने जवाबदावा पेश कर वादी के दावे के साथ सहमति प्रकट करते हुए दावा को कानूनी रूप से निस्तारित करने का निवेदन किया।

(B) प्रतिवादी सं. 5 हरप्यारी ने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि उसका काउंटर क्लेम स्वीकार किया जावे।

(C) वादी ने जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी का काउंटर क्लेम मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

(D) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने उभयपक्ष की बहस सुनकर दि. 22.02.2011 को खाता विभाजन का आदेश दिया।

(E) उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। अपीलांट ने अपील के साथ दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 में आपसी सहमति थी। परन्तु अपीलांट द्वारा अधी. न्यायालय में दिनांक 29.06.2019 को जबाब दावा प्रस्तुत कर 3.088 है0 की बजाय 3.808है0 हिस्सा दर्ज करने का संशोधन व खाता विभाजन करवाने हेतु कांउटरक्लेम मय

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जवाबदावा प्रस्तुत किया था। खाता विभाजन के दावा में तहसीलदार भूमिधारक होने की हैसियत से आवश्यक पक्षकार दावा है। लेकिन तहसीलदार का लिखित अभिकथन नहीं लिया गया। अगर लिखित अभिकथन प्रस्तुत होता तो कब्जा व भूमि की सही स्थिति सामने आ जाती। अधी. न्यायालय ने खाता विभाजन करते वक्त प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव राज.काश्त. (बोर्ड आफ रेवन्यू) नियम 1955 की चेप्टर (4) नियम 18 ता 21 के तहत मंगवाना चाहिए था, उसके पश्चात आपत्ति नहीं होने पर खाता विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी होनी चाहिए थी। लेकिन उक्त कार्यवाही नियमों की अनदेखी से हुई थी। ऐसी डिक्री में निर्णय कानून विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है। अपील पेश करने में हुई देरी बाबत अपील के साथ दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र संलग्न किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार करते हुए अधी. न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

(ii) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 से 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट स्वयं ने इस अपील में स्थगन प्राप्त किया हुआ था। फिर भी उसने अपने हिस्से की भूमि को दिनांक 29.05.2017 को दान पत्र द्वारा सन्तरो पत्नी आदि को अन्तरित कर दिया। अपील में सन्तरो आदि द्वारा पक्षकार बनने हेतु प्रा.पत्र पेश किया था जो माननीय न्यायालय ने दिनांक 28.11.2018 को खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) अपीलांट द्वारा अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अपीलांट द्वारा यह अपील अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05.09.2011 को पेश की है। रेस्पों. द्वारा उक्त प्रा.पत्र का जबाब मय शपथ पत्र खण्डन नहीं किया है। अतः न्यायहित में अपीलांट का प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर (राज.)

(b) बहस में अपीलांट ने कोई विशेष कथन या अपने पक्ष में कुछ नहीं कहा। अपील मीमों में उठाए गये कानूनी बिन्दुओं पर भी मौन रहे व कोई प्रतिवाद नहीं किया।

(c) प्रत्यर्थी अभिभाषक ने दलील दी है कि स्वयं अपीलांट ने अपील के पश्चात अपने हिस्से में प्राप्त भूमि को दानपत्र द्वारा दिनांक 29.05.2017 को सन्तरो पत्नी राजेन्द्र आदि को अन्तरित कर दी। इस तथ्य को अपीलार्थी ने स्वीकार किया है।

(d) यह भी उल्लेखणीय है कि उक्त सन्तरो पत्नी राजेन्द्र जिनके पक्ष में दान पत्र किया गया है, उनके द्वारा दिनांक 21.12.17 को प्रा.पत्र प्रस्तुत कर आदेश 1 नियम 10 के तहत इस मामले में पक्षकार बनने की गुजारिश की। उक्त आवेदन पत्र के साथ दान पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

(e) दिनांक 28.11.2018 को इस न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन आदेश 1 नियम 10 को यह विवेचन करते हुए निरस्त कर दिया गया कि स्वयं अपीलांट द्वारा अपील में अधी. न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए स्थगन दिनांक 05.09.2011 को प्राप्त किया एवं स्वयं द्वारा ही अपील के विचारण के दौरान अपने हिस्से की भूमि का दान द्वारा हस्तांतरण कर दिया। जोकि सम्पत्ति के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन रहने के दौरान स्वयं वादी द्वारा अन्यसंकामण है और प्रारम्भतः शून्य श्रेणी का है।

(f) इस प्रकार स्पष्ट है कि एक ओर तो अपीलांट ने कानूनी बिन्दओं पर अधी. न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है और उन्हीं आधारों पर स्थगन आदेश प्राप्त किया। दूसरी और दौराने अपील अपने स्वयं के कृत्य द्वारा भूमि का दान दिगर व्यक्ति को कर के अप्रत्यक्ष रूप से अधी.न्यायालय के निर्णय के प्रति स्वीकारोक्ति प्रदर्शित की है।

(g) इस प्रकार जब वे अपने दानपत्र जिसका मात्र उल्लेख किया गया है, किन्तु उसकी प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, में नये पक्षकार को अपीलांट के रूप में शामिल करने के प्रयास में असफल हो गये तो बहस के समय मौन रहकर प्रत्यर्थी के द्वारा अपील के Infructuous होने के तर्क का प्रतिवाद नहीं किया।

(h) अपीलांट के इस प्रकार के आचरण मामलें में दानपत्र की कहानी को व न्याय प्राप्त करने की मंशा पर प्रश्न खडे करती है।

(i) अपील के दौरान स्वयं अपीलार्थी द्वारा स्थगन प्राप्त करने के उपरांत भी स्वयं ही भूमि का अन्तरण दान द्वारा अन्य को प्रदान करना सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के Lis pendeuce के नियम के तहत स्वतः शून्य प्रभावी होता है। यह नितान्त कानूनी प्रकिया का दुरूपयोग व न्याय प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी के आचरण को संदिग्ध बनाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(j) चूंकि अपीलांट ने स्वयं के कृत्य से अपने प्रतिवाद को कमजोर किया है एवं सम्पत्ति के दान द्वारा अन्तरण द्वारा अधी. न्यायालय के निर्णय की अप्रत्यक्षतः स्वीकारोक्ति प्रदर्शित की है। फलस्वरूप अपील में उठाये गये आक्षेप सारहीन हो जाते हैं। ऐसी दशा में अपील का रूप बदल जाता है व अपील में उठाऐं प्रतिवाद के आधार भी सारहीन स्वयं अपीलांट द्वारा ही बना दिये गये है।

अपील बंटवारे के निर्णय के विरूद्ध की गई है और अपीलांट ने स्वयं के हिस्से की भूमि का दान किया है जो सामान्यतः अनुचित नहीं है। किन्तु अपीलांट को विधिवत रूप से अपनी अपील को न्यायालय को लिखित में सूचित करके अनुमति प्राप्त करनी चाहिऐ। ऐसी दशा में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह देखें कि प्रकरण में ऐसी अनुमति देने से विधि के सारभूत प्रावधानों की अवहेलना तो नहीं हो रही है। किन्तु प्रार्थी ने ऐसा नहीं करके न्यायालय को अंधेरे में रख कर अपील के विचारण के दौरान अपनी भूमि का दान अनुचित रूप से किया तथा आदेश 1 नियम 10 का प्रा.पत्र प्रस्तुत कर अन्य पक्षों को स्वयं के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का कृत्य किया जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इससे न्यायालय के समक्ष आने का उसका उदेश्य असफल हो गया तो अपील उसी के कृत्य से Infructuous हो गई। इस प्रकार न्यायालय के श्रम व समय की हानि हुई।

(k) लिहाजा यह अपील इसी स्तर पर मय हर्जा खर्चा प्रत्यर्थी को अखरे रूपये 1000/- खारिज किया जाना उचित पाते हैं। इस आशय की डिक्री जारी हो। प्रतिलिपि वास्ते जांच दानपत्र उप पंजीयक सूरतगढ, भूमिधारक तहसीलदार तथा राजकीय अभिभाषक को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28-6-2019. को मेरे द्वारा खुले न्यायाल में सुनाया गया।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर